भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1038
13 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

शैवाल की खेती

1038. कुमारीराम्या हरिदास:
श्रीमती पूनम महाजनः

क्या मत्स्यपालन**,** पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का तटीय राज्यों, विशेषकर केरल औरमहाराष्ट्र में समुद्री शैवाल कीखेतीकेलिए समुद्री शैवाल पार्कस्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंधमें अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है और यह कहां तक लाभकारी होगा; और

(ग) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत देश में कितने मछुआरा पुरुषों / महिलाओं को सशक्त बनाया गया और पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी राशि खर्च की गईहै?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय समुद्री शैवाल की खेती (सी वीड कल्टीवेश)सहित समुद्री कृषि को वैकल्पिक आजीविका अवसरों के सृजन के प्रमुख क्षेत्रों में से एक मानता है।2020-21 से 2024-25 तक पांच साल की अवधि के लिए विभाग द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) में समुद्री कृषि गतिविधियों के लिए लगभग 990 करोड़ रुपये और इंटीग्रेटेड एक्वापार्क की स्थापना के लिए 600 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पिछले दो वित्तीय वर्षों (2020-21 और 2021-22) और वर्तमान वर्ष (2022-23) के दौरान कुल154.86 करोड़रु/- की लागत से विभिन्न तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के समुद्री कृषि गतिविधियों के प्रस्तावों को मंजूरीदी है । इसमें समुद्री शैवाल की खेती गतिविधियों के लिए 60.37 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शामिल हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में पीएमएमएसवाई के तहत 75.16 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से के साथ 127.71 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क (मल्टीपर्पस सीवीड पार्क) की स्थापना के लिए तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है । महाराष्ट्र और केरल सरकार ने पीएमएमएसवाई के तहत समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ग): 2020-21 से 2022-23 के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत अनुमोदित परियोजनाओं की लागत तथा लाभान्वित लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

*****

अनुबंध- I

13 दिसंबर, 2022 को उत्तर देने हेतु सुश्री राम्या हरिदास और श्रीमती पूनम महाजन माननीय संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1038 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित विवरण ।

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**लाभार्थियों की संख्या**	**पिछले दो वर्षों के दौरान और वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक पीएमएमएसवाई* के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की लागत (करोड़ रुपये में)**
1	आंध्रप्रदेश	120925	2121.03
2	अंडमानऔरनिकोबार	1304	30.06
3	अरुणाचलप्रदेश	546	89.76
4	असम	49961	328.06
5	बिहार	59131	302.42
6	छत्तीसगढ	41036	364.32
7	दमनऔरदीवऔरदादराऔरनगरहवेली	30	6.46
8	दिल्ली	35	5.33
9	गोवा	502	94.68
10	गुजरात	17910	739.42
11	हरयाणा	2121	283.22
12	हिमाचलप्रदेश	5512	98.27
13	जम्मूऔरकश्मीर	50726	88.58
14	झारखंड	3900	309.02
15	कर्नाटक	51456	734.77
16	केरल	182323	469.77
17	लद्दाख	116	14.82
18	लक्षद्वीप	3136	45.08
19	मध्यप्रदेश	32622	497.03
20	महाराष्ट्र	12811	511.13
21	मणिपुर	1159	83.47
22	मेघालय	1560	71.65
23	मिजोरम	20963	85.73
24	नगालैंड	2815	68.62
25	ओडिशा	37999	603.29
26	पुदुचेरी	58972	77.22
27	पंजाब	1232	141.94
28	राजस्थान	2580	43.05
29	सिक्किम	2120	47.33
30	तमिलनाडु	177748	447.02
31	तेलंगाना	35590	147.21
32	त्रिपुरा	13853	96.69
33	उतारप्रदेश	15924	793.19
34	उत्तराखंड	1161	163.03
35	पश्चिमबंगाल	2712	66.07

***पीएमएमएसवाई वित्त वर्ष 2020-21 से शुरू हुई**

*****